92

<u>समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर</u>

निग /4444 - प्र-15

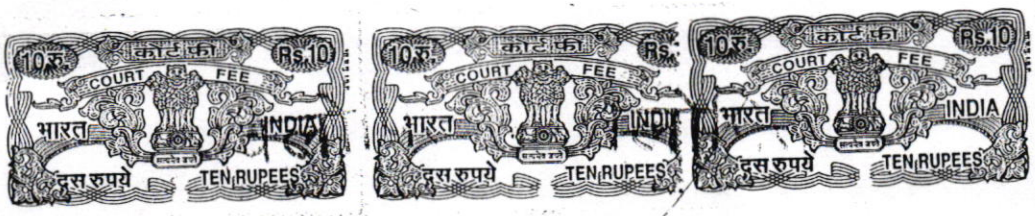

सतीशचन्द्र द्विवेदी तनय श्री नारायणदास द्विवेदी उम्र 56 वर्ष निवासी माधवगढ़ तहसील रघुराजनगर जिला सतना हाल मुकाम मास्टर प्लान गोल पार्क प्लाट नं. 33 सतना जिला सतना म.प्र.....................निगराकार

बनाम

1. ब्यंकटेश गर्ग तनय विनोद कुमार नावालिग बली सरपरस्त द्वारा पिता विनोद कुमार गर्ग तनय श्री श्यामलाल गर्ग उम्र 45 वर्ष निवासी बगहा तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.

2. श्रीमती ज्योत्सना जैन पत्नी डॉ0 आशीष जैन निवासी चन्द्रा नर्सिंग होम सिन्धी कैम्प सतना म.प्र.

3. स्व0 चन्द्रकान्ती देवी उर्फ कान्ती देवी मृतक ....गैरनिगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू राज. <u>संहिता 1959</u>

विरूद्ध कलेक्टर सतना श्री संतोष मिश्रा द्वारा प्र.क.1/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2015 एवं आदेश प्र.क. 174/अपील/15–16 में पारित आदेश दिनांक 24.11.2015 द्वारा श्री के.पी. राही <u>अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म.प्र.</u>

मान्यवर,

निगराकार उक्त प्रसंग में निम्न तथ्य एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करता है :–

सतीश चन्द्र द्विवेदी

...2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 4144–दो/2015 जिला सतना

सतीशचन्द्र विरूद्ध व्यंकटेश गर्ग आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21 –9–2016	आवेदक अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एवं अनावेदक अभिभाषक श्री .मनोज कुमार द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा दिनांक 5–8–2016 को प्रस्तुत निगरानी प्रकरण समाप्त करने बावत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर दोनों अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये। दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध निगरानी मेमो, अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों की प्रति एवं तर्क के समय प्रस्तुत व्यवहार न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा वसीयत के आधार पर प्रस्तुत वसीयत के आधार पर नजूल अधिकारी द्वारा किये गये नामांतरण को कलेक्टर के समक्ष चुनौती दी गई थी। कलेक्टर ने यह निष्कर्ष निकालते हुये कि कलेक्टर सतना के आदेश कमांक 46/3बी/स्था0/2015/सी.एस.टी./सतना दिनांक 28–9–15 से जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य पूर्व में किये गये कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन करते हुये श्री तुमराली से नजूल अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से वापस लेते हुये श्री रमेशसिंह डिप्टी कलेक्टर को सौंपे जाने के आदेश दिये गये थे। कार्यविभाजन आदेश होने के पश्चात नजूल अधिकारी ने आदेश दिनांक 3–10–15 को जल्दबाजी में विचाराधीन आदेश पारित कर दिया। कलेक्टर सतना	

ने अपने आदेश मे यह भी निष्कर्ष निकाला है कि चूंकि नजूल अधिकारी को प्रकरण में क्षेत्राधिकार नहीं रह गया था। पूर्व से ही प्रकरण अन्य न्यायालय में स्थानांतरण किये जाने के आदेश हो चुके थे। नजूल अधिकारी ने जो आदेश पारित किया वह क्षेत्राधिकार विहीन पारित किया गया है। उक्त आदेश प्रांरभ से ही शून्य एवं अकृत (Null and void) है। कलेक्टर सतना ने नजूल अधिकारी का आदेश दिनांक 3–10–15 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ नजूल अधिकारी के नये पीठासीन अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया कि वे पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये गुण–दोषों के आधार पर प्रकरण का न्यायोचित आदेश पारित करें। आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसपर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 24–11–15 में यह कलेक्टर सतना के आदेश में निकाले गये निष्कर्षों को उचित माना तथा आवेदक की अपील को ग्राह्यता के बिन्दु पर समाप्त किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमिता परिलक्षित नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है तथा निगरानी संचालित रखने का कोई आधार नहीं है। जहां तक व्यवहार न्यायालय में वाद संचालित होने का प्रश्न है चूंकि दोनों ही पक्षों ने वसीयत के आधार पर नामांतरण चाहा है और व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है इस दृष्टि से भी इस निगरानी को प्रचलित रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। चूंकि नजूल अधिकारी द्वारा बिना

नामांतरण नियमों का पालन किये आदेश पारित किया था जिसे दोनों अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा स्थिर नहीं रखा है तथा प्रकरण नजूल अधिकारी को उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण में गुण–दोषों के आधार पर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है इसलिए दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर सतना का आदेश दिनांक 14–10–15 एवं अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 24–11–15 स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है तथा राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 21–7–16 को दिया गया स्थगन भी निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य